सरकार / चन्दनमल
TA/81/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
29.5.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित आए। पत्रावली वास्ते फाइनल बहस नियत है। वकील रेस्पो० द्वारा प्रकरण अधि० न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 LR Act में दर्ज करवाया जाना, तथा अधीनस्थ निर्णय भी धारा 136 LR Act के तहत किया जाना अवगत कराया। पत्रावली में अधीनस्थ निर्णय का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष इस बात पर सहमत है कि धारा 136 LR Act की कार्यवाही की अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है परन्तु निर्णय में वादपत्र लिखा होने व निर्णय की डिक्री जारी होने से इसे वादपत्र माना जा कर न्यायालय द्वारा आदेश ही निर्णीत किये जाने का निवेदन अपील अधिवक्ता द्वारा किया गया है। पूर्व में 22-3-17 को RAA court ने क्षेत्राधिकार में मान कर ही दर्ज की थी, अतः बहस सुनी जावे। पत्रावली पर इसी बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। LR Act धारा 136 का प्रकरण मान कर ही अधीनस्थ निर्णय पारित है, परन्तु उनवान में वाद पत्र लिख दिये जाने व डिक्री जारी करने के आधार पर प्रकरण को धारा 136 LR Act से बाहर नहीं माना जा सकता। धारा 136 LR Act का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील maintainable नहीं होने से अपील इस स्तर पर ही खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय तहरीर कर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम हो। [signature] 29/5/19 (हेमन्तस्वरूप माथुर) प्र. प्रशा. अधिकारी एवं पदेन	